न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 33/2023 (2023/111)

अशोक कुमार हरिजन पुत्र गूदडमल हरिजन
राकेश हरिजन पुत्र गूदडमल हरिजन
निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पस्थितः—
ो अनुराग पाण्डे :— अधिवक्ता प्रार्थीगण
राकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। क्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. ण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
279—265	1974	0.65	बारानी 2
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.65 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है एवं प्रार्थीगण के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का क व हिस्सा, अधिकार नही है। प्रार्थीगण की आराजीयात के पडोसी खातेदार जबरन खेत की मेड को हाथ तोड देते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है एवं आये दिन सीमा विवाद करते है जिससे गडा फसाद होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। दिनांक 15.03.2023 को प्रार्थीगण खेत की देख रेख रने गये तो पडौसियों ने प्रार्थीगण की आराजी में सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा करीब 10 टर अन्दर तक जबरन कब्जा कर लिया है। जिस हेतु ओलबा दिया तो पडौसी प्रार्थीगण के साथ लडाई ाडा करने पर आमादा हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया। अतः प्रार्थीगण का ार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान रने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार रिये तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी ारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में र्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन कया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की ातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके म बघेरा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया—पुराना 279—265 में दर्ज खसरा नम्बर 1974 कबा 0.65 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की म गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)